

*After Scenic
mail
Gupta
S. Agarwal*

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय—लखनऊ।

परिपत्र सं0—सी—16 / तक0प्रकोष्ठ / 2017—18

दिनांक—01-5-2017

समस्त प्रबन्धक श्रेणी—1 व 2
उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, “आवश्यक”
उत्तर प्रदेश।

विषय—नाबार्ड द्वारा संचालित अनुदानित समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में।

नाबार्ड के संदर्भ सं0—एनबीयूपीआरओ0/डॉर—एलटी/1252/जीएसएस0/2016—17 दिनांक—31.03.2017 का संदर्भ लें जिसके क्रम में नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि नाबार्ड के माध्यम से केन्द्र द्वारा संचालित अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद नियमानुसार कृषक के अनुदान रिजर्व फण्ड खाते में जमा की गयी धनराशि एवं सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0—सी—93/तक0प्रकोष्ठ /2010—11 दिनांक—27.12.2010 के साथ संलग्न नाबार्ड के परिपत्र सं0—186/टीएसडी0—03 /2010 दिनांक—21.09.2010 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रधान कार्यालय के माध्यम से नाबार्ड को प्रेषित की जानी है। (संलग्न—प्रारूप)

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नाबार्ड द्वारा अनुदानित योजनाओं का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार प्रधान कार्यालय को परिपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शाखा प्रबन्धक द्वारा भली—भांति जॉच कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उसे समय से नाबार्ड प्रेषित किया जा सके।

29/11/17
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल)उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

3
(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक(तक0)

Sending mail → SFTI → subsidy Schemes



Ref.No.NB.UPRO/ DOR-LT/ 1252/ GSS / 2016-17

31 March 2017

- i. The RM/ZM- Controlling Offices of All Commercial Banks in UP
- ii. The Chairman, All RRBs in UP
- iii. The Managing Director, UPCB Ltd. Lucknow
- iv. The Managing Director, UPSGVB Ltd. Lucknow


Dear Sir,

Govt Sponsored Schemes routed through NABARD-Submission of Utilisation Certificate

We would like to bring to your kind attention, the instructions of various Government Subsidy Schemes routed through NABARD wherein it is advised that after crediting the subsidy in the Subsidy Reserve Fund Account of the borrowers under the respective Scheme, a Utilisation Certificate in the prescribed format (as per the scheme) shall be submitted by the participating bank to NABARD. However, it has been observed banks are not regularly submitting the utilization certificates against the claims submitted.

You are therefore requested to comply with the instructions and forward to us the utilization certificates of all the claims under various Government Subsidy Schemes against which subsidy has been received.

Yours faithfully


(Ajanta Khaklari)
Asst. General Manager

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- केन्द्रीय योजनान्तर्गत डेरी उद्यमिता विकास योजना हेतु ऋण
वितरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

भारत सरकार द्वारा डेरी उद्यमिता विकास योजना के विकास हेतु डेरी बैंकर कैपिटल फण्ड की स्थापना की गयी है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ दूध के उत्पादन हेतु आधुनिक डेरी फार्मों की स्थापना, बछिया पालन को प्रोत्साहन, असंगठित क्षेत्रों में ढांचागत बदलाव, वाणिज्यिक स्तर पर दूध के बेहतर उपयोग हेतु उसक गुणवत्ता एवं उससे जुड़ी परम्परागत प्रौद्योगिकी में सुधार, अनियोजित डेरी क्षेत्र हेतु स्व-रोजगार के अवसर और आधारभूत संरचना उत्पन्न करना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु लागू की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नाबार्ड द्वारा निर्गत विस्तृत निर्देश जनपद स्तर की शाखाओं पर प्रेषित किये जा रहे हैं।

डेरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा पूँजी अनुदान परिव्यय का 25 प्रतिशत (33.33 प्रतिशत अ०जा० एवं अ०ज०जा० उद्यमितयों हेतु) प्रदान की जायेगी। योजना की पहली किश्त जारी करने के उपरान्त ही बैंक नाबार्ड को अनुदान की मंजूरी एवं पात्र अनुदान हेतु आवेदन करेगा, एवं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुदान जारी की जायेगी। न्यूनतम ०३ वर्ष की समयबन्दी के साथ पूँजी अनुदान पश्चायी (बैंक एन्डे०ड) होगी। बैंक को नाबार्ड से अनुदान की धनराशि प्राप्त होने तक समस्त ऋण राशि पर ब्याज लिया जायेगा। शाखा को अनुदान प्राप्त होने वाले तिथि से केवल बैंक ऋण जिसमें अनुदान की धनराशि घटाने के उपरान्त अवशेष राशि पर ब्याज लिया जायेगा।

लाभार्थी के ऋण की प्रतिशुति के रूप में ऋण राशि के दोगुने मूल्य की भारमुक्त कृषि याग्य भूमि प्रतिशुति के रूप में दब्ख की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो जनपद के पश्च पालन अधिकारी, दुग्ध विकास अधिकारी एवं डी०डी०ए००, नाबार्ड से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जाये।

इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण का नाबार्ड से पुनर्वित प्राप्त करने हेतु निर्धारित विवरण पत्र एल०डी०बी०-२८ पर प्रयेक माह सूचना मुख्यालय के ऋणपत्र अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(नवज्ञ किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित:-

- १- समस्त मण्डल प्रभारी, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
- २- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- ३- समस्त अधिकारीगण, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

(गोविन्द कुमार)
मुख्य महाप्रबन्धक(तकनीकी)



राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE
AND RURAL DEVELOPMENT**
 नेशनल बैंक ऑफ इंडिया
TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Mumbai
 तीसरी मंजिल, सौ. कल्प
 सी-24, जी ब्लॉक
 बांद्रा - कुला संकुल
 बांद्रा (पश्च.)
 मुंबई - 400051
 फ़ोन: 26530039, 26530038
 फैक्स: 26530091
 E-Mail: tsd@nabard.org.in

संदर्भ सं. एनबी.टीएसडी/ 1660 /वीसीएफ-4/2010-11

परिष्ठ सं. 186 / टीएसडी-03 /2010

21 सितम्बर 2010

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

सभी क्षेत्रग्रा बैंक/ एससीएआरडीबी/ रास बैंक

नाबार्ड पुनर्वित हेतु पत्र अन्य सभी संस्थाएँ

महोदय

डेरी और मुर्गीपालन जोखिम पूँजी निधि -डेरी उद्यमिता विकास योजना (डीइडीएस)

कृपया डेरी और मुर्गीपालन हेतु जोखिम पूँजी निधि के दिशानिर्देशों की जानकारी देने वाले हमारे परिष्ठ सं.32/ आईसीडी-6/ 2004-05 विनांक 16 फरवरी 2005, डेरी और मुर्गीपालन क्षेत्रों के पृथक्करण की सूचना देने वाले परिष्ठ सं.93/ टीएसडी-03/2009 विनांक 19 जून 2009 तथा वर्ष 2010-11 के दौरान भी इस योजना के जारी रहने की जानकारी देने वाले परिष्ठ सं.96/ टीएसडी-01/ 2010 विनांक 07 मई 2010 का अवलोकन करें।

1. इस योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से कुछ ऐसी सिफारिशों की गई हैं जिनसे इस योजना के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाई जा सके मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों तथा किसानों, राज्य सरकारों और बैंकों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अप्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन मोड को ब्याज मुक्त क्रठण से (आईएफएल) से पूँजी उपदान में परिवर्तित करने का, यूनिट लागतों को संशोधित करने का, कुछ नए घटकों को शामिल करने का एवं नाम को बदलकर "डेरी उद्यमिता विकास योजना (डीइडीएस)" नाम देने का निर्णय लिया गया है।
2. यह संशोधित योजना 01 सितम्बर 2010 से प्रभावी है। 2010-11 के दौरान इस योजना हेतु बजट का प्रावधान रु.32.40 करोड़ हैं (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए रु.4.18 करोड़ तथा तत्कालीन डेरी जोखिम पूँजी निधि योजना (डीवीसीएफ) के तहत जारी निधि को मिलाकर)।
3. 01 सितम्बर 2010 को या उसके पश्चात् बैंकों द्वारा संवितरित और मंजूर प्रस्तावों को संशोधित योजना अर्थात् डीइडीएस के अंतर्गत ही कवर किया जाएगा। प्रस्तावों पर निधियों की उपलब्धता के अधीन प्राप्ति के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।
4. डीवीसीएफ योजना के तहत जिन दावों के संबंध में आईएफएल, नाबार्ड द्वारा पहले ही मंजूर और जारी किया जा चुका है उन्हें दोबारा ही खोला जाएगा।

5. जिन प्रस्तावों को बैंकों ने 31 अगस्त 2010 को या उससे पूर्व मंजूरी दे दी है किन्तु जिन्हें नाबार्ड को नहीं भेजा गया है, उन मामलों में मंजूरी को पुनर्वैधीकृत करके तथा ऋण की पहली किस्त के संवितरण के पश्चात, उन्हें नाबार्ड संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाए.

6. हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के पास लंबित सभी प्रस्तावों को संबंधित बैंकों को वापस लौटा दिया जाएगा। वे मंजूरी का पुनर्वैधीकरण करवाएँ तथा ऋण की पहली किस्त के संवितरण के पश्चात इसे नाबार्ड को प्रस्तुत कर दें। ऐसे प्रस्तावों पर भी निधियों की उपलब्धता के अर्थात्, प्राप्ति के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।

7. बैंक, डीवीसीएफ के तहत प्राप्त अदायगियों और धन की वापसी, यदि हो तो, को ऋण रकम की परिसमाप्ति तक नाबार्ड को अनुपातिक आधार पर प्रेषित करना जारी रखेंगे।

8. बैंक, चुकौती अवधि की समाप्ति तक, वार्षिक आधार पर डीवीसीएफ के तहत नियमित खातों के विषय में ब्याज सम्बिली का दावा जारी रख सकते हैं।

9. डीवीसीएफ की तुलना में डीइडीएस में किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

मद	डेरी जोखिम पूँजी निधि	डेरी उद्यमिता विकास योजना
1. प्रदत्त सहायता	ब्याज मुक्त ऋण परिव्यय का 50%	पूँजी सम्बिली - परिव्यय का 25% (.33.33% अजा और अजाजा उद्यमियों के लिए)
2. ब्याज सम्बिली	नियमित खातों के मामले में ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति	ब्याज सम्बिली नहीं
3. दुधारु पशुओं के वित्तपोषण पर प्रतिबंध	आपरेशन फ्लड क्षेत्रों में दुधारु पशुओं का वित्तपोषण स्वीकार्य नहीं है।	ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है अर्थात् ओएफ क्षेत्रों में भी वित्तपोषित दुधारु पशु भी पात्र है।
4. नए घटक		निम्नलिखित नए घटक शामिल किए गए हैं: क) दुधारु पशु यूनिट के साथ वर्मिकम्पोस्ट ख) बछड़ा बछिया पालन ग) डेरी पार्लर
5. आईएफएल सम्बिली का उपयोग	बैंक परियोजना को स्वीकृत करें और नाबार्ड को मंजूरी और ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) जारी करने के लिए भेजें। बैंक ऋण और आईएफएल एक साथ जारी किया जाए।	बैंक, पहले मंजूरी देंगे और पहली किस्त जारी करेंगे तत्पश्चात वे नाबार्ड को मंजूरी और पात्र सम्बिली हेतु आवेदन करेंगे।
6. चुकौती	उधारकर्ताओं से प्राप्त चुकौतियाँ, नाबार्ड के अनुपातिक आधार पर भेज दी जाएँ।	नाबार्ड को कोई चुकौती करने की आवश्यकता नहीं है। पश्चदाय सम्बिली अंत में समायोजित की जाएगी।

10. पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन (डीएचडी & एफ) विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, इस योजना के संचालन के लिए केन्द्र विभाग है। सब्सिडी की मंजूरी और उसे जारी करना, निधियों की उपलब्धता और डीएचडी & एफ, भारत सरकार और नाबांद द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुपालन के अधीन है।
11. योजना के संचालन के दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है।
12. आप कृपया, संचालन के दिशानिर्देशों को अपने नियंत्रित कार्यालयों में परिचालित करें और उन्हें, नाबांद के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित करें।
13. आप इस योजना के व्यापक प्रचार के लिए कदम उठाएं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए और भावी प्रमोटरों से आवेदन जुटाने के लिए पशुपालन विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है।
14. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(डॉ. पी. रंगानाथन)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

डेरी उद्यमिता विकास योजना के संबंध में परिचालनात्मक समर्गनिर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान “डेरी और मुर्गीपालन के लिए जोखिम पूँजी योजना” नामक एक प्रायोगिक योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे डेरी फार्मों की स्थापना करना और उससे जुड़े अन्य कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना था ताकि डेरी क्षेत्र में ढाँचागत बदलाव आ सके। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी संस्थाओं और कंपनियों को चुनिंदा कार्यकलापों के लिए ब्याज मुक्त ऋण(आइएफएल) के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2010 तक देश के विभिन्न भागों में स्थित 15,368 इकाइयों को रु.146.91 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण सहायता प्रदान की गई।

1.2 इस योजना के मूल्यांकन से यह पता चला है कि इसने कुछ राज्यों में दुधारू पशुओं के वित्तपोषण पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव डाला है और इससे अधिक स्तर पर किसानों को लाभ हुआ है। इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि इसके अंतर्गत आपरेशन फ्लड क्षेत्र में दुधारू पशुओं के वित्तपोषण पर लगाई गई रोक को हटाया जाए। इसके अलावा, अनेक क्षेत्रों यथा किसानों, राज्यों के पशुपालन विभागों और बैंकों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि इसके ब्याजमुक्त ऋण सहायता वाले पहलू को पूँजी सहायता (कैपिटल सब्सिडी) में परिवर्तित कर दिया जाए।

1.3 सभी स्टेकहारकों से विस्तृत चर्चा के पश्चात पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग ने यह निर्णय लिया है कि नोडल विभाग इसके कार्यान्वयन के स्वरूप को परिवर्तित करे, मौजूदा इकाई लागतों को बढ़ाए और इसके कार्यक्षेत्र में कुछ और कार्यकलापों को सहायतार्थ शामिल करे। चूंकि इस योजना का उद्देश्य उद्यमिताप्रक गुणों का विकास करना है, इस कारण संशोधित योजना को “डेरी उद्यमिता विकास योजना (डेरी इंटरप्रेन्यूरशिप डेवलमेंट स्कीम)” नाम दिया गया है।

2. योजना का उद्देश्य

- स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेरी फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहित करना
- बछिया पालन को प्रोत्साहित करना ताकि अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं को बचाया जा सके।
- असंगठित क्षेत्र में ढाँचागत बदलाव लाना ताकि दूध का प्रारंभिक स्तर पर प्रसंस्करण गाँव में किया जा सके।
- वाणिज्यिक स्तर पर दूध के बेहतर उपयोग के लिए उसकी गुणवत्ता व उससे जुड़ी परम्परागत प्रौद्योगिकी में सुधार लाना।
- मुख्यतः अनियोजित डेरी क्षेत्र के लिए स्वरोजगार के अवसर और आधारभूत संरचना उत्पन्न करना।

3. कार्यान्वयन-अवधि और परिचालन-क्षेत्र

यह स्कीम ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि में सारे देश में कार्यान्वित की जाएगी। इसके अंतर्गत दुधारू पशुओं का वित्तपोषण आंपरेशन फ्लड वाले क्षेत्रों में भी, बिना किसी प्रतिबंध के कार्यान्वित की जाएगी। यह 01 सितम्बर 2010 से

लागू होगी। इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा 01 सितम्बर 2010 या उसके बाद मंजूर किए गए प्रस्तावों और संवितरणों को संशोधित योजना अर्थात् डीईडीएस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके पश्चात पुरानी योजना (डीबीसीएफ) १०० आधार पर मंजूरियाँ नहीं दी जाएंगी।

4. पात्रता

- 4.1 किसान, उद्यमी, एनजीओ, कम्पनियों, संगठित क्षेत्र आदि के समूह, संगठित क्षेत्रों के समूह में स्वयं सहायता समूह, डेरी सहकारी समितियाँ, मिल्क यूनियन, मिल्क फैडरेशन आदि शामिल हैं।
- 4.2 इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी सभी घटकों के लिए सहायता लेने का पत्र होगा लेकिन उसे यह सहायता प्रत्येक घटक के लिए सिर्फ एक बार ही दी जाएगी।
- 4.3 इस योजना के अंतर्गत एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को सहायता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते वे अलग-अलग आधारभूत संरचना के साथ, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग इकाइयाँ स्थापित करें। ऐसी दो इकाइयों के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए।

5. सब्सिडी

- 5.1 इसके अंतर्गत जिन घटकों के लिए सहायता दी जा सकती है, उनकी निवर्णी इकाई लागत और उसका स्वरूप नीचे दिया गया है :

क्र.सं	घटक	इकाई-लागत	सहायता का स्वरूप
I	संकर नस्ल की गायों/ देशी दुधारू गायों यथा साहिवाल, रेड सिंधी, गीर, राठी आदि या दस ग्रेडेड भैंसों तक की छोटी डेरी की इकाइयों की स्थापना हेतु	दस पशुओं तक की इकाई के लिए ₹.5.00 लाख - न्यूनतम दो पशु और अधिकतम दस पशु	दस पशुओं तक की इकाई के लिए कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%)पश्चदाय (बैंक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा ₹. 1.25 लाख है। (अनुसूचित जाती/जनजाति के किसानों के लिए ₹. 1.67 लाख है)
II	बछियों का पालन- संकर, देशी नस्ल के दुधारू पशु और ग्रेडेड भैंसे - अधिकतम 20 बछिए	बीस बछियों तक की इकाई के लिए ₹.4.80 लाख - न्यूनतम पांच बछिए और अधिकतम 20 बछिए	झीस बछियों की इकाई के लिए कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%)पश्चदाय (बैंक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा ₹. 1.20 लाख है। (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए ₹. 1.60 लाख हैं)

			Pांच बड़ियों की इकाई के लिए अधिकतम अनुमन्य पूँजी सब्सिडी रु.30,000/- होगी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए यह रु.40,000/- होगी). यह सब्सिडी इकाई के आकार के आधार पर समानुपातिक होगी.
III	दूधारू पशु इकाई सहित वर्मिकम्पोस्ट (इस पर दूधारू पशुओं के साथ विचार किया जाए न कि अलग से)	रु.20,000/-	कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैंक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.5000/- है. (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु.6700/- है)
IV	दूध नियारने वाली मशीनों/ मिल्कटेस्टरों/ बल्क दूध प्रशीतन इकाइयों (2000 लीटर तक की क्षमतावाली) की खरीद	रु.18 लाख	कुल परिव्यय की 25% राशि पश्चदाय (बैंक एन्डेड) पूँजी सब्सिडी के रूप में दी जाती है. इसकी अधिकतम सीमा रु.4.50 लाख है. (अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को कुल परिव्यय की 33.33% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है. इसकी अधिकतम सीमा रु.6.00 लाख है)
V	देशी दुग्ध उत्पादों की तैयारी के लिए डेरी प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद	रु.12 लाख	कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैंक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु3.00 लाख है. (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु.4.00 लाख है)
VI	दुग्ध उत्पाद यातायात सुविधाओं और कोल्ड चेन की स्थापना	रु.24 लाख	कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैंक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.6.00 लाख है. (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु.8.00 लाख है)
VII	दूध और दूध के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा	रु.30 लाख	कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैंक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.7.50 लाख है. (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु.10.00 लाख है)

viii	निजी पशु चिकित्सालयों की स्थापना	मोबाइल क्लीनिक के लिए 2.40 लाख और स्थायी क्लीनिक के लिए रु.1.80 लाख	मोबाइल और स्थायी क्लीनिकों के लिए कुल परिव्यय की 25% राशि पश्चदाय (बैंक एन्डे) पूँजी संबिंदी के रूप में दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा क्रमशः रु.60,000 और रु.45,000 है। (अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को कुल परिव्यय की 33.33% राशि संबिंदी के रूप में दी जाती है और इनके लिए इसकी अधिकतम सीमा क्रमशः रु.80,000/- और 60,000/- रु.है)
ix	दुग्ध विपणन केन्द्र/ डेरी पार्लर	रु.56000/-	कुल परिव्यय की 25% राशि (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैंक एन्डे) संबिंदी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.14000/- है। (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु.18,600 है)

6. निधि पैटर्न

- लाभार्थी अंशदान (मार्जिन) - परिव्यय का 10% (न्यूनतम).
- पश्चदायी पूँजी संबिंदी - यथा इंगित
- प्रभावी बैंक ऋण - शेष अंश, परिव्यय का न्यूनतम 40%

7. ऋण सहबद्धता

योजना के तहत सहायता ऋण सहबद्धता के रूप में होगी और पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रोजेक्ट की मंजूरी की शर्त के तहत होगी।

8. पात्र वित्तीय संस्थाएँ

1. बाणिज्य बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. राज्य सहकारी बैंक
4. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक: और
5. अन्य ऐसी संस्थाएँ जो नाबांड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

9. बैंकों द्वारा मंजूरी

- 9.1 उद्यमकर्ता प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बैंकों को आवेदन करेंगे। बैंक अपनी मानदंडों के अनुसार प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे और यदि पात्र समझा जाएगा तो मार्जिन राशि को छोड़कर कुल परिव्यय को बैंक

ऋण के रूप में मंजूर करेगे, यूनिट की प्रगति के अनुसार ऋण राशि उपयुक्त किश्तों में वितरित की जायेगी.

बैंक पहली किस्त जारी करने के बाद नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को समिस्ती की मंजूरी और जारी

करने के लिए अनुबंध। में दिये गये फार्मेट में आवेदन करेंगे।

10. प्रोजेक्ट मंजूरी कमेटी (पीएससी)

10.1. जैसा कि यूर्व की डेरी वंचर पूँजी निधि योजना की तरह नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय की कर्तमान प्रोजेक्ट मंजूरी कमेटी (पीएससी) प्रस्तावों की जांच करेगी और पत्र प्रस्तावों के मामले में समिस्ती मंजूर करेगी।

11. समिस्ती जारी करना

11.1. प्रोजेक्ट मंजूरी कमेटी (पीएससी) द्वारा समिस्ती मंजूरी के पश्चात नाबार्ड प्रधान कार्यालय से निधियों की उपलब्धता की पुष्टि प्राप्त होने के बाद नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समिस्ती राशि जारी की जाएगी। समिस्ती निधियों की उपलब्धता के अधीन पहले आओ पहले पाओ आधार पर जारी की जाएगी।

11.2. नाबार्ड से समिस्ती राशि प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्यान्वयन बैंक शाखा उधारकर्ता के समिस्ती रिजर्व फंड खाता में समिस्ती की राशि जमा करेगी, सहभागी बैंक के द्वारा निर्धारित फार्मेट में उपयोगिता प्रमाणफ्र (अनुबंध II) नाबार्ड को प्रस्तुत करना होगा जिसमें योजना की समग्र मार्गनिर्देशों के भीतर उनके द्वारा प्राप्त समिस्ती को पूर्णतः उपयोग कर लेने और खाता बहियों में समायोजित करने की जानकारी दी जाएगी।

12. चुकौती

12.1. चुकौती अवधि गतिविधि की प्रकृति के आधार पर 3-7 वर्षों के बीच होगी। डेरी कार्मों के मामलों में 3 से 6 माह और बछड़ा पालन यूनिटों के मामले में 3 वर्षों तक की छूट अवधि होगी (वैयक्तिक प्रोजेक्टों की आवश्यकता के आधार पर वित्तपोषक बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी।)

12.2. ऋण की वसूली केवल निवल ऋण रकम पर ही आधारित होगी, अर्थात् इसमें समिस्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। संबंधित बैंक द्वारा इसका समायोजन प्रभावी बैंक ऋण और उस पर ब्याज की अद्यायी होने के पश्चात ही किया जाएगा। अर्थात्, चुकौती अनुमूची इस प्रकार तैयार की जाएगी, कि कुल ऋण राशि (समिस्ती सहित) निवल बैंक ऋण (समिस्ती रहित) की चुकौती के पश्चात समिस्ती राशि समायोजित की जाए।

13. ब्याज दर

ऋणों पर ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों और इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार होगी।

बैंक समिस्ती की राशि प्राप्त होने तक समग्र ऋण राशि पर ब्याज दर प्रभारित कर सकता है और कार्यान्वयन शाखा द्वारा समिस्ती की प्राप्ति की तारीख से केवल प्रभावी बैंक ऋण अंश पर ही ब्याज लिया जाए अर्थात्

समिस्ती को छोड़ा जाए।

14. प्रतिभूति

ऋण पर प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गनिर्देशों के अनुसार होगी।

15. प्रोजेक्ट के पूरा होने के निर्धारित समय-सीमा

क. प्रोजेक्ट के तहत उसे पूरा करने की समय-सीमा तय की जाएगी जो ऋण की पहली किश्त के वितरण की तारीख से अधिकतम 9 माह की शर्त के अधीन होगी जिसे 3 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है यदि संबंधित कितीय संस्था द्वारा उसके विलंब के कारणों को यथोचित समझा जाता है। (बछड़ा पालन यूनिटों के सिवाय जहाँ वितरण दो वर्षों तक जारी रहने की संभावना रहती है)

ख. यदि प्रोजेक्ट निर्धारित अवधि में पूरा नहीं होता है, तो सब्सिडी के लाभ उपलब्ध नहीं होंगे और सहमागी बैंक के पास अग्रिम सब्सिडी, यदि कोई हो, तो उसे नाबार्ड को लौटा दिया जाएगा।

16. नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता

नाबार्ड वाणिज्य बैंकों, क्षेत्री बैंकों, रासकृत्तावि बैंकों और अन्य ऐसी पात्र संस्थाओं को उनकी पात्रता के आधार पर पुनर्वित्त प्रदान करेगा। पुनर्वित्त की मात्रा और ब्याज दर का निर्धारण नाबार्ड के द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

17. सब्सिडी का समायोजन

17.1. न्यूनतम 3 वर्ष की समयबंदी के साथ पूँजी सब्सिडी पश्चदायी (बैकएंडेड) होगी।

17.2. खाते के अनर्जक आस्ति होने के बाद और उस तारीख को अनर्जक आस्ति बने रहने पर एक वर्ष के भीतर पूँजी सब्सिडी वापिस करनी होगी।

17.3. बैंक ऋण की अंतिम किश्त चुकौती के समक्ष पूँजी सब्सिडी समायोजित की जाएगी।

17.4. योजना के तहत वित्तपोषक बैंक की खाता बहियों में प्राप्त पूँजी सब्सिडी 'सब्सिडी रिजर्व फंड खाता' (उधारकर्ता वार) में रखी जाएगी। बैंक द्वारा इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसको मद्देनजर रखते हुए ऋण घटक पर ब्याज प्रभारित करने के उद्देश्य से सब्सिडी राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सीआरआर और एसएलआर की गणना के लिए सब्सिडी रिजर्व फंड खाते में जमा बकाया राशि माँग और मीयादी देयताओं (डीमांड एण्ड टाइम लाइबिलिटीज) का अंश नहीं होगी।

18. अनुप्रवर्तन

18.1. राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त अनुप्रवर्तन समिति (जेएमसी) गठित की जाएगी जिसमें पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ), भारत सरकार, योजना आयोग, दो या तीन राज्यों के पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव/

निदेशक/ आयुक्त (रोटेशन आधार पर), तीन बैंकों (रोटेशन आधार पर) और नाबार्ड इसके सदस्य होंगे। पशुपालन, डेरी और मत्स्य विभाग के संबंधित संयुक्त सचिव इसके अध्यक्ष होंगे और निदेशक (डेरी) उनमाही आधार पर बैठक आयोजित करेंगे।

18.2. पीएससी तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा करेगी।

18.3. सहभागी बैंक यूनिटों का आवधिक आधार पर निरीक्षण करेंगे और आवधिक अंतरालों पर पीएससी को फीडबैक देंगे।

18.4. नाबार्ड के द्वारा नगूना आधार पर योजना के तहत गठित यूनिटों का क्षेत्र अनुप्रब्ल्टन करेगा। और उसके प्रमुख अभियानों को जेएमसी में विचारार्थ रखा जाएगा।

19. सचिव (एडीएफ) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त कर्मठी (ईसी) को यूनिट लागत को संशोधित करने का विवेकाधिकार होगा।

20. अन्य शर्तें

- सहभागी बैंक तकनीकी साध्यता और व्यावसायिक / वित्तीय व्यवहार्यता के संबंध में प्रोजेक्टों का आकलन करने के मानदंडों का पालन करेंगे।
- योजना के तहत उसी क्षेत्र में निदेशक, कृषि विपणन, कृषि मंत्रालय द्वारा इसी प्रकार के प्रोजेक्टों के कार्यान्वयन के साथ इन प्रोजेक्टों का दोहराव न हो इससे हर संभव बचने के प्रयास किए जायेंगे।
- सहभागी बैंक प्रोजेक्ट के तहत निर्मित आस्तियों का बीमा, जहां कहीं अपेक्षित होगा, सुनिश्चित करवाएंगे।
- यूनिट स्थल पर एक साइनबोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा 'नाबार्ड के माध्यम से पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्त'।
- सहभागी बैंक द्वारा जब भी अपेक्षित होगा प्रोजेक्ट की भौतिक और वित्तीय प्रगति के सत्यापन के लिए प्रोजेक्ट के पूरा होने के पूर्व और पश्चात् निरीक्षण किए जाएंगे।
- पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) को बिना कोई कारण बताएँ किसी नियम व शर्त में कुछ जोड़ने और हटाने का अधिकार होगा और उनके द्वारा विभिन्न शर्तों के अर्थ निरूपण को अंतिम माना जाएगा।
- पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) को बिना कोई कारण बताये किसी नियम/शर्त को संशोधित, जोड़ने और घटाने का अधिकार होगा।
- पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) का विभिन्न शर्तों का अर्थ निरूपण अंतिम होगा।
- पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) के पास बिना कोई कारण बताए योजना के अंतर्गत दी गई राशि को वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित है।
- जब भी अपेक्षित होगा, पशुपालन डेरी और मत्स्य पालन विभाग (डीएडीएफ) भौतिक और वित्तीय प्रगति जानने के लिए प्रोजेक्ट का पूर्व और पश्चात् निरीक्षण करेगा।

- पशुपालन डेरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएडीएफ)/ नाबांड द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिचालनात्मक अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

१४ | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार | प्रशिक्षण | वादगांत

डैरी उद्यमिता विकास योजना के संबंध में पूँजी सब्सिडी जारी करने के लिए बैंक के नियंत्रक कार्यालय से
दावा फार्म

(नाबार्ड के संबंधित श्वेतीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए)

CLAIM FORM FROM THE CONTROLLING OFFICE OF THE BANK FOR RELEASE OF CAPITAL SUBSIDY
IN RESPECT OF DAIRY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME
(To be submitted to the concerned Regional Office of NABARD)

बैंक का नाम :

NAME OF THE BANK :

कुल कर्मान दावे की राशि :

TOTAL AMOUNT OF CURRENT CLAIM :

कर्मान दावे के विवरण :

DETAILS OF CURRENT CLAIM :

दिनांक

Date

(₹.) / [Rs]

विवरण Particulars	
उद्यमकर्ता का नाम और पता (कृपया जिला का नाम इन्डिकेट करें)	
Name and address of the Entrepreneur (Pl indicate district also)	
प्रोजेक्ट का स्थान (जिला इन्डिकेट करें) (Location of the Project (indicate the district))	
क्या SC/ST/Women हैं Whether SC/ST/Women	
बीएसआर कोड के साथ बैंक/ शाखा का पता (जिला भी इन्डिकेट करें) Bank/Branch address (indicate district also) with BSR code	
ऋण खाता सं. Loan A/c No.	
मंजूरी की तारीख Date of sanction	
ऋण का प्रयोजन Purpose of Loan	
गूणि आकार Unit size	
कुल कितीय परिव्यय Total Financial Outlay	
मार्जिन Margin	
बैंक ऋण Bank Loan	
निर्धारित चुकौती Repayment prescribed	
ब्याज दर Rate of Interest	
ऋण की पहली किश्त जारी करने की तारीख Date of release of 1st installment of loan	
जारी किया गया राशि Amount released	
पूँजी सब्सिडी दावा Capital Subsidy claimed	

राष्ट्रीय बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वामत करता है

१०
१०

परियोजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी
Any other information relevant to the project

1. हम बताते हैं कि उपर्युक्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते समय हमने योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के संबंध में नाबार्ड के दिनांक _____ के परिवर्त सं. _____ में दिए गए सभी अनुदेशों का अनुपालन किया है।

We undertake having complied with all the instructions contained in NABARD circular No. _____ regarding operational guidelines of the scheme while sanctioning above proposals.

2. हम अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त उद्यमकर्ता के संबंध में पूँजी समिति के रूप में रु. _____ (रुपए) जारी करे।

We request you to release an amount of Rs. _____ (Rupees) as Capital Subsidy in respect of the above entrepreneurs.

स्थान/Place :

शाखा प्रबंधक के सील और हस्ताक्षर (वित्तपोषक बैंक)
Seal and signature of the Branch Manager(financing bank)

दिनांक / Date :

बैंक के नियंत्रक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised signatory Controlling office of the bank

गांधीय बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वामत करता है।

ANNEXURE II

उपयोगिता प्रमाणफल का फार्मेट - पूँजी सब्सिडी*Format for Utilization Certificate - Capital Subsidy*

(वित्तपोषक बैंक द्वारा नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने के लिए)
 (FOR THE USE OF FINANCING BANK TO BE SUBMITTED
 TO THE REGIONAL OFFICE OF NABARD)

“द्वेरी उद्यमिता विकास योजना

DAIRY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT SCHEME

1 लाभार्थी का नाम व पता और प्रोजेक्ट का स्थान

Name, address of the beneficiary and location of the project.

2 वित्तपोषक बैंक का नाम

Name of the financing bank :

3 वित्तपोषक शाखा का नाम व पता

Name & address of the financing branch:

4 बैंक द्वारा ऋण मंजूरी की तारीख :

Date of sanction of loan by bank :

5 बैंक द्वारा क्षेत्र अनुप्रवर्तन की तारीख

Date of field monitoring of the unit by the bank

6 यूनिट पूरा होने की तारीख

Date of completion of the unit:

7

(i) कुल वित्तीय परिव्यय

Total financial outlay

रु.

Rs.

(ii) मार्जिन राशि

Margin Money

रु.

Rs.

(iii) बैंक ऋण

Bank loan

रु.

Rs.

(iv) नाबार्ड से प्राप्त सब्सिडी प्राप्ति की तारीख

Subsidy received *
from NABARD

Date of receipt

Amount
(Rs.)

Date of credit to the
"Subsidy Reserve
Fund A/C" of the Borrower

राशि (रु.) उधारकर्ता के 'सब्सिडी रिजर्व फंड खाता' में
जमा की तारीख

राष्ट्रीय बैंक हिन्दी में पत्राचार का स्वामत करता है

- 8 सृजित आस्तियों का संक्षिप्त व्यौरा
Brief description of assets created
- 9 वित्तपोषक बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर
Rate of interest charged by the financial bank : % प्रति वर्ष/ p.a.
- 10 बैंक ने नाबार्ड से पुनर्वित प्राप्त किया/ नहीं किया है
The bank has / has not availed refinance from NABARD
- 11 यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में प्राप्त पूँजी सब्सिडी की पूरी राशि का उपयोग किया गया है (सब्सिडी रिजर्व फंड खाता - उधारकर्ता वार में जमा द्वारा) और खाता बहियों में योजना की समग्र मार्गनिंदेशों के भीतर प्रोजेक्ट की स्वीकृत नियम व शर्तों के तहत समायोजित किया गया।
This is to certify that the full amount of capital subsidy received in respect of the above project has been fully utilized (by way of crediting to the "Subsidy Reserve Fund Account - borrower - wise) and adjusted in the books of account under the sanctioned terms and conditions of the project within the overall guidelines of the scheme.

स्थान :

Place :

तारीख :

Date :

(_____)

सील व हस्ताक्षर
शाखा प्रबंधक (वित्तपोषक बैंक)
Seal & Signature of the
Branch Manager (Financing bank)

राष्ट्रीय बैंक हिन्दी में प्रत्याचार का स्वामरण करता है